1

कार्यालय परिसम्पत्ति अधिकारी
गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर –263145
जनपद–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : इस्टेट/आ0आ0स0/1313 दिनांक: 14.01.26

कार्यालय आदेश

आवास आवंटन समिति की दिनांक 27.11.2025 को सम्पन्न बैठक में निम्नानुसार लिये गये निर्णयों को लागू किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है :

1.	1. विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े आवासों के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि –वर्तमान में केवल श्रेणी दो के आवास रिक्त है तथा वरिष्ठतानुसार कोई कर्मी प्रतीक्षारत् नही है, इन आवासों को समान श्रेणी के कर्मियों से विकल्प के आधार पर आवंटित किया जा सकता है। –सभी श्रेणियों के आवासों जिनकी स्थिति ठीक नही है, को विश्वविद्यालय आवासों के सापेक्ष प्राप्त बढ़े हुये आवास किराये से मरम्मत कार्य कराया जाये। –उक्त सन्दर्भ में उचित होगा कि बढ़े हुये किराये की पूर्ण धनराशि से एक मेन्टीनेन्स फण्ड नियन्त्रक कार्यालय के माध्यम से बनाकर उस धनराशि से ही इन आवासों की मरम्मत आदि कार्य कराये जायें।
	2. ठेका कर्मियों एवं कतिपय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय आधार पर दो–दो कक्षों की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के समबन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व की भाँति इन आवासों को नियमानुसार आंवटित किया जाये। ठेका कर्मियों के दो कक्षीय आवास आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय कुलपति जी के क्षेत्राधिकार में है।
	3. ठेका कर्मियों/पुर्ननियोजित कर्मियों को आवंटित विभागीय आवासों के सापेक्ष नियोजन समाप्त होने अथवा स्वीकृति समाप्त होने के उपरान्त देय किराये के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ठेका कर्मियों को विभागीय आवासों के सापेक्ष किराये हेतु वाहय सेवादाता के माध्यम से कटौती करायी जाये तथा पुनर्नियोजित कर्मियों से रू0 10000.00 की सुरक्षा धनराशि अग्रिम जमा करायी जाये। समस्त ठेका कर्मियों एवं पुर्ननियोजित कर्मियों के नियोजन समाप्त होने के एक माह के अन्दर आवास रिक्त न करने पर पैनल दरों *(प्रथम दो माह सामान्य किराये का 32 गुना, अगले दो माह सामान्य किराये का 64 गुना तदोपरान्त आवास रिक्त करने तक का 128 गुना किराया)* से किराये की कटौती सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से की जाये। समय पर कटौती कर लिये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
	4. विश्वविद्यालय के बड़ी एवं छोटी मार्केट में अधिकांश दुकानें बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के क्रय–विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा संज्ञान लिया गया कि उक्त प्रकरण बाजार परामर्शदात्री समिति के क्षेत्राधिकारी में है तथापि इस हेतु के0वाई0सी0 (Know Your Customer) एवं अन्य जानकारी हेतु एक प्रारूप बनाकर सूचना प्राप्त कर ली जाये तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अध्यक्ष, बाजार परामर्शदात्री समिति को प्रकरण सन्दर्भित किया जाये। (प्रारूप संलग्न)
2.	प्रसार शिक्षा निदेशालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों में तैनात ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र–पुत्री विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को विश्वविद्यालय परिसर में आवासीय सुविधा बनाये रखने के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि समस्त के0वी0के0 कार्मिकों जिनको आवास आवंटित है, स्थानान्तरण होने की स्थिति में उनके बच्चों के इण्टरमीडिएट (12वीं) की शिक्षा तक के लिये उनके पाल्यों के विद्यालय से प्रमाणपत्र के आधार पर सामान्य किराये पर रहने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है तदोपरान्त पैनल दरों से किराया देय होगा। यह सुविधा उन्हीं कार्मिकों को देय होगी जिनके पाल्य मुख्य परिसर स्थित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

Dean C.T. Office
Receipt No.: 5543
Dated: 14.1.26

3.	कतिपय आरक्षित आवासों, जैसे वार्डन हाउस, चिकि0आवास, टीचर्स होम, फील्ड हॉस्टल आदि के आवंटन समय से न होने के कारण आवासों के छतों एवं आसपास काफी पेड़, घास आदि उग जाती है जिस कारण दीवारों एवं छतों की स्थिति अत्यन्त खराब होती है, पर विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जो आवास रिक्त है एवं उसके आस–पास, छतों पर काफी पेड़ पौधे, झाड़ी आदि उग आयी है, उनकी समय–समय पर सफाई हेतु परिसम्पत्ति अधिकारी की सूचना के आधार पर उद्यान अनुभाग एवं सफाई विभाग के माध्यम से उक्तानुसार कार्य सम्पन्न कराया जाये ताकि विश्वविद्यालय के रिक्त आवासों को सुरक्षित रखा जा सके।
4	पन्तनगर गैस सर्विस, प्रबन्धक, श्रीमती आशा पाण्डे को आवास आवंटन के सम्बन्ध मे समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि सम्बन्धित कर्मी से एक शपथ पत्र, वेतन आहरण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर एवं रू0 10000.00 की सुरक्षा धनराशि जमा कराते हुये नियमानुसार आवास आंवटित किया जा सकता है।
5.	विभिन्न विभागों को अत्यधिक संख्या में आवंटित विभागीय आवासों को वापिस किये जाने विषयक प्रकरण पर समस्त विभागाध्यक्षों से एक प्रारूप पर विभागीय आवासों में आवासित ठेका कर्मियों के टोकन संख्या, नाम, आवासित कर्मी का विवरण आदि की सूचना प्राप्त कर ली जाये। साथ ही पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार ठेका कर्मियों हेतु आंवटित विभागीय आवासों में निरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि विश्वविद्यालय के किसी भी आवास को किराये पर अथवा बाहरी व्यक्तियों को न दिया जा सके।
6.	एन0 सी0 सी0 (आर0 एण्ड0 वी0 और एअर स्क्वैड्रन) को अधिक संख्या में आवंटित आवासों को वापिस किये जाने पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एन0सी0सी0 मुख्यालय से पत्राचार कर आवंटित आवासों व कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें अनुमन्य एच0आर0ए0 के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति ज्ञात कर ली जाये।
	अन्य बिन्दु : 1. वाह्य संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा लिये जा रहे आवास किराया भत्ते के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में जो भी सूचना आतिथि तक प्राप्त हुई है उनकों संकलित कर एक माह के अन्दर पत्रावली उचित माध्यम से प्रस्तुत की जाये ताकि सक्षम अधिकारी को अवगत कराया जा सके।
	2. वि0वि0 कार्मियों द्वारा पसन्द के आवास हेतु समय सीमा का निर्धारण। उक्त सम्बन्ध में सहमति बनी कि 10 एवं 20 प्रतिशत के आधार पर पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है, जिसमें पुनः 10 एवं 20 प्रतिशत की सुविधा 03 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष किये जाने की सहमति बनी। साथ ही यह भी सहमति बनी कि कार्मिक यदि तीसरी बार भी 10 अथवा 20 प्रतिशत के आधार पर पसन्द की आवासीय सुविधा लेना चाहता है तो मूल वेतन का 30 प्रतिशत जमा कर केवल एक अवसर और दिया जा सकता है। साथ ही 10 एवं 20 प्रतिशत के आधार पर कार्मिक कम से कम एक या अधिकत्तम तीन आवासों का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त आदेश सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक **08.01.2026** के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

16/1/26

परिसम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष को विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण।
3. नियन्त्रक।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. लेखाकार, परिसम्पत्ति कार्यालय।
6. फोरमैन, परिसम्पत्ति कार्यालय।

– समस्त विभागाध्यक्ष/इकाई प्रभारी
– प्रभारी अधिकारी, उद्यान अनुभाग
– प्रभारी अधिकारी, महा० अनुभाग
– प्रभारी अधिकारी रख-रखाव NCT/PCT
– सहायक लेखाधिकारी

16/1/26

Dean
College of Technology